



प्रेस नोट थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य दिनांक 28.08.2025

“थाना काँट पुलिस टीम द्वारा 01 वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर, महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम, वाँछित एवं वारण्टियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना काँट के नेतृत्व में थाना काँट पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.07.25 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना काँट पर मु0अ0सं0 323/25 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/3(5)/351(3) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण अलतमश पुत्र भोलू आदि 19 नफर द्वारा एक राय होकर वादी के चाचाजी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनो/सम्बन्धियों के साथ जान से मारने की नियत से फायर कर लाठी डण्डों से मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। अब तक की तमामी विवेचना, घटनास्थल निरीक्षण व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 28.08.25 को मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त अभियुक्त अलतमश पुत्र भोलू नि0 मो0 तकिया कस्बा व थाना काँट, जनपद शाहजहाँपुर को समय करीब 02.30 बजे शीतला माता मन्दिर जाने वाले मार्ग पर 100 मीटर की दूरी पर थाना काँट क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अलतमश पुत्र भोलू नि0 मो0 तकिया कस्बा व थाना काँट, जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 323/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/3(5)/351(3) बीएनएस थाना काँट, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व घटनास्थल –

दिनांक 28.08.2025 को समय करीब 02.30 बजे, शीतला माता मन्दिर जाने वाले मार्ग पर 100 मीटर की दूरी पर थाना काँट क्षेत्रान्तर्गत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 श्री घनश्याम बहादुर

का0 1848 देवेन्द्र कुमार

का0 2306 गौरव तोमर